A → 2002/00037

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

GCMS NO.-2002/00037

मिसल नम्बर– 59/2011

1. कान्हा पुत्र औंकार मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1. रामलक्ष्मण आत्मज कान्हा मृतक जरिये कायम मुकामान–
      1/1/1. कैलाशी बाई पत्नी स्व0 रामलक्ष्मण
      1/1/2. श्याम बिहारी पुत्र स्व0 रामलक्ष्मण
      1/1/1. दिलखुश पुत्र स्व0 रामलक्ष्मण
      1/1/1. सावित्री बाई पुत्री स्व0 रामलक्ष्मण
      1/1/1. ममता बाई पुत्री स्व0 रामलक्ष्मण
   1/2. रामपाल आत्मज स्व0 कान्हा
   1/3. घनश्याम आत्मज स्व0 कान्हा
   1/4. जानकी बाई पुत्री स्व0 कान्हा
   1/5. ब्रदी बाई पुत्री स्व0 कान्हा
   1/6. सुगना बाई पुत्री स्व0 कान्हा

जाति धाकड निवासीगण ग्राम चन्द्रेसल तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0

..........वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा।
2. तहसीलदार लाडपुरा सी.ए.डी. कोटा
3. आर.एल.डी.सी.ए जयपुर जरिये चैयरमेन
4. अति0 कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त सी.ए.डी. कोटा।

...........प्रतिवादीगण।

–ःनिर्णयः–

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 22/5/26

वादीगण द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि –

उपखण्ड अधिकारी
को...

न्यायालय ★ उपखण्ड ★ अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

वादीगण की आराजी सेटलमेंट के पूर्व से ग्राम चन्द्रेसल तह0 लाडपुरा कोटा मे मे खसरा नम्बर 141 की 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके वादी के कब्जे का त मे स्थित है। जो बाद सेटलमेंट नये खाते खसरा संख्या 411 रकबा 1.42 है0, खसरा संख्या 412 रकबा 0.66 है0, खसरा संख्या 413 रकबा 0.73 है0, कुल किता 4 रकबा 2.81 है0 बनाये। मैट्रिक प्रणाली अनुसार 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि का 3.30 है0 बनता है किन्तु भू प्रबंध अधिकारियों ने उक्त भूमि को 2.81 है0 भूमि ही बनाई है। भू प्रबंध विभाग ने प्रतिवादी की 0.49 है0 भूमि कम दर्ज की है।

वादी मौके अनुसार 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर ही काबिज का त है अर्थात 3.30 है0 भूमि का खातेदार मालिक है।

वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4 ने वादी की भूमि मे केचमेंट कार्य कर लिया है। और अब पुनः केचमेंट कार्य करने के पश्चात भूमि सम्भलाया जाने व रिअलोटमेंट का कार्य किया जा रहा है और प्रतिवादीगण वादी को मौके के अनुसार प्राप्त की गयी भूमि के अनुसार वापस भूमि नही सम्भला रहे है और रिकोर्ड के अनुसार भूमि सम्भला रहे है। जिसके अनुसार वादी को 0.49 है0 भूमि का नुकसान होने की पूर्ण संभावना है।

अतः वादीगण द्वारा वाद पे ा कर निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आ ाय की डिक्री पारित की जावे किः–

1. वादी पुराने खसरा संख्या 141 की 20 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चन्द्रेसल के अनुसार खसरा संख्या 411, 412, 413 की 3.30 है0 भूमि का खातेदार घोशित किया जावे। तथा राजस्व रिकोर्ड मे 2.81 है0 के स्थान पर 3.30 है0 भूमि दर्ज कर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावे।
2. प्रतिवादीगण को आदे ात्मक निशेधाज्ञा से आदे ित किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के मौके अनुसार व पुराने रकबा के अनुसार प्राप्त की गई भूमि को बाद केचमेंट नियमानुसार कटोती की जाकर वादी को वापस सम्भलाये।

प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4 की ओर से निम्न जवाब दावा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि –

– वादी का वाद सर्वथा निराधार एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने व आफ्टर थॉट पे ा किये जाने से चलने योग्य नही है।

– वादी का वाद धारा 80 सीपीसी के नोटिस के बगैर पोशणीय नही है।

– वास्तविकता यह है कि खसरा संख्या 411 रकबा 1.42 है0, खसरा संख्या 412 रकबा 0.66 है0, खसरा संख्या 413 रकबा 0.73 है0 रेकोर्ड मे अंकित है और रेकार्ड से उपलब्ध भूमि मे ही केचमेंट किया गया है व बाद केचमेंट भूमि वादी को संभलाई है। हो सकता है कि सेटलमेंट ने रकबा कम कर अन्य सिवायचक नम्बर बना दिया हो परन्तु इस बाबत दावे मे कोई विवरण नही है अतः वादी का वाद मौजूदा सूरत मे चलने योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट अनुसारः–

जमाबंदी संवत् 2035–38 खाता संख्या 9 मे कान्हा पुत्र औंकार जाति धाकड सा0 देह के खात मे खसरा संख्या 71 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 141 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 537 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 538 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार किता 4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज रिकोर्ड थी।

साथ ही कान्हा(कन्हैयालाल पुत्र औंकार जाति धाकड़ के दौरान सेटलमेंट मि0न0 235/81 से जर्ये आदे । श्रीमान अति0 जिलाधि । महोदय के आदे । SC/5782/339/29 के तहत खसरा संख्या 23 व 23/642 जो कि जमाबंदी 2035–38 मे मांग्या पुत्र देवीराम धाकड के दर्ज था से उक्त खसरा संख्या 23 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा व खसरा संख्या 23/642 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा दर्ज हुआ है।

हाल सेटलमेंट 2038–57 से खात संख्या 36 खसरा संख्या 23 व 23/642 के नये खसरा संख्या 98 रकबा 2.30 है0, खसरा संख्या 106 रकबा 0.99 है0, खसरा संख्या 107 रकबा 0.99 है0, किता 03 रकबा 4.28 है0 बना। जो कि सही रकबा दर्ज हुआ।

परन्तु अन्य खाते 38 मे पूर्व खसरा संख्या का नया नम्बर व रकबा निम्नानुसार बने–

गत खसरा	रकबा	हाल ख0स0	रकबा
071	2 बीघा 17 बिस्वा	452	0.48 है.
141	20 बीघा 13 बिस्वा	411, 412, 413	1.42 है., 0.66 है., 0.73 है.
537	14 बिस्वा	626, 627, 628	0.99 है.
538	5 बीघा 10 बिस्वा	630, 632, 633, 634,635, 636, 637	

उक्त नये पुराने नम्बरान मे गत खसरा संख्या 71 व 537 तथा 538 का रकबा तो पुराने रकबे अनुसार ही बना परन्तु खसरा संख्या 141 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा का रकबा वर्तमान खसरा संख्या 411 रकबा 1.42 है0, खसरा संख्या 412 रकबा 0. 66 है0, खसरा संख्या 413 रकबा 0.73 है0 इस प्रकार कुल 2.81 है0 बना परन्तु बनना 3.20 है0 चाहिए था।

पूर्व खसरा संख्या 71 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा था जिसका नया नम्बर 542 रकबा 0.48 है0 बना जबकि बनना 0.46 है0 चाहिए था। इस प्रकार सम्पूर्ण रकबे मे खातेदार के लगभग 0.47 है0 की कमी रही है।

खातेदार के दोनों खाते जमाबंदी संवत 2047–50 खात संख्या 7 मर्ज कर दिए गये। जो कि किता 17 रकबा 8.56 है0

जमाबंदी संवत 2055–58 खाता संख्या 10 कन्हैयालाल पिता औंकार जाति धाकड़ के खसरा संख्या रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ख0स0	रकबा	ख0स0	रकबा	ख0स0	रकबा
106	0.99	627	0.14	634	00.03
107	0.99	628	0.08	635	0.28
411	1.42	630	0.13	636	0.02
413	0.66	630	0.05	637	0.02
452	0.73	632	0.11	98	2.30
626	0.48	633	0.13	किता 17	कुल 8.56 है0

भूमि दर्ज थी जो नामान्तरण संख्या 322 दिनांक 05.09.2001 से भाांतिलाल द्वारकीलाल पुत्र गोपीलाल जाति धाकड के खसरा संख्या 98 की 2.30 है0 मे से 1.92 है भूमि दर्ज रिकोर्ड हुई।

जमाबंदी संवत 2059–2062 मे खात संख्या 14 मे नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 20.06.2002 जर्ये न्यायालय आदे । विभाजन से खाते निम्न प्रकार बना–

1. गोपीलाल पुत्र औंकार कोम धाकड

खसरा संख्या	रकबा
411	1.42
452	0.48
632	0.11
633	0.13
किता 4	2.14 है0

2. कन्हैयालाल पुत्र औंकार जाति धाकड सा0 देह

खसरा संख्या	रकबा
412	0.66
413	0.73
626	0.14
627	0.08
628	0.13
630	0.05
634	0.03
635	0.28
636	0.02
637	0.02
किता 10	2.14 है0

उपखण्ड अधिकारी

(अ) नामान्तकरण संख्या 467 दिनांक 07.10.2003 से खसरा संख्या 452 रकबा 0.48 है0 बेचान कर दिया गया। जवाहरी लाल, रामे वर, हंसराज पुत्रान प्रभूलाल जाति धाकड को

(ब) नामान्तकरण संख्या 529 से भू सुधार पश्चात निम्न नये खसरे बने

गत		वर्तमान		वि.वि.
ख0सं0	रकबा	ख0सं0	रकबा	
98	0.38	2063	2.21	सम्पूर्ण रकबे मे से कटौती 0.32 है0
106	0.99	2064	0.01	
107	0.99	2228	2.26	
411	1.42	2224	0.40	
412	0.66	2242	0.45	
413	0.73			
452	0.48			
किता 7	**5.62** Hec	किता 5	**5.33** Hec	

(स) गत खसरा संख्या 98 रकबा 1.92 व वर्तमान खसरा संख्या 2065 रकबा 1.81 दौराने सेटलमेंट 0.11 है0 की कमी।

इस प्रकार वर्तमान मे खसरा संख्या 2224/01 रकबा 0.20 है व 2228/1 रकबा 1.13 है0 किता 2 रकबा 1.33 है भूमि रामपाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड सा0 देह के खाते दर्ज रिकोर्ड है व खसरा संख्या 2224 रकबा 0.20 है0 व खसरा संख्या 2228 रकबा 1.13 है0 भूमि किता 02 रकबा 1.33 है0 चन्द्रप्रका ा पुत्र गोपीलाल हि 1/2 हुकमचंद पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/2 जाति धाकड सा0 देह के खाते दर्ज रिकोर्ड है।

प्रार्थीयान के खसरा संख्या 2224 व 2224/1 के उत्तर पि चम दि ा मे खसरा संख्या 2222 रकबा 0.65 है0 स्थित है जो कि वर्तमान मे UIT kota के नाम दर्ज रिकोर्ड है। सेटलमेंट के पूर्व उक्त खसरा नम्बरान का नम्बर 141/711 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा था जो कि सेटलमेंट व केचमेंट के प चात भी वर्तमान मे 0.65 है0 जो कि पूर्व के रकबे से अधिक है।

प्रतिवादी क्रम 4 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दावे मे गत खसरा नम्बर 41 की 20 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चन्द्रेसल मे स्थित होना बताया है और सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा कायम किये गये नये खसरा नम्बर 411, 412, 413 की कुल रकबा 2.81 है0 कायम किया जाना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा कुल गत रकबे से वर्तमान रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

मे 0.47 है0 की कमी बतायी गयी है जिसकी दुरूस्ती हेतु दावा माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद मे वर्तमान दर्ज भूमि का ही वर्णन किया गया है इससे पूर्व प्रार्थी की भूमि का रकबा बहुत अधिक था जिसका बाद मे विभाजन किया गया और विभिन्न टुकडो मे विभक्त किया गया जिसका प्रार्थी के द्वारा कोई हवाला नही दिया गया कि कमी रकबा किसी खसरे मे से हुयी है और किस खसरे मे बढायी गयी है स्पष्ट नही किया गया और ना ही प्रार्थी/वादी के द्वारा अन्य खातेदारान को पक्षकारान बनाया गया जिससे पूर्व खाते की स्थिति स्पष्ट नही होती है कि प्रार्थी का कमी रकबा किस खसरे मे मिला गया है अप्रार्थीगण के खसरे में निहित हैं इसलिये वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

पटवार हल्का की रिपोर्ट से भी स्पष्ट नही होता है कि वादी के द्वारा बताया गया कमी रकबा 0.47 है0 कौन से खसरे मे बढा है और किस खसरे से पूर्ति की जा रही है वह खसरा किसके नाम दर्ज है इस प्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद वादी साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है इसलिये वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

वादी झूठे वाद पत्र के आधार पर सरकारी कीमती भूमि को हडप करना चाहता है इसलिये वादी का वाद सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं।

वादी का वाद पक्षकारो के असंयोजन के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ग्राम चन्द्रेसल के खसरा नं0 141 की 20 बीघा 13 बिस्वा आराजी के संबंध मे प्रस्तुत किया गया है लेकिन जमाबंदी संवत 2035–38 के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि आवेदक के खाते ग्राम चन्द्रेसल मे कुल 3 खातों मे 8 खसरा नम्बरों की आराजी दर्ज रिकोर्ड थी। जिसका आवेदक द्वारा अपने वादपत्र मे कोई अंकन नही किया गया है। वादी द्वारा जिस खाता संख्या 9 बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है उसमे भी कुल 4 खसरा नम्बर 71, 141, 567 व 568 सम्मिलित है। जिसका कुल रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा है। स्पष्टतया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मात्र एक खसरा नम्बर को सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया गया है हमारे विनम्र मत मे वादी क्लिन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है।

साथ ही वादी द्वारा यह भी प्रमाणित नही किया गया है कि यदि वादी का कोई रकबा कम किया गया है तो वह किस स्थान पर बढ़ाया गया है। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि मौके पर तीनों नम्बर खसरान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

411, 412,व 413 का रकबा 2.81 है0 से अधिक नही था। स्पष्टतया भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार ही भू प्रबंध का रिकोर्ड तैयार किया गया है। वादी यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उसकी आराजी मे कोई कमी हुई हो तथा यदि कमी हुई तो उक्त कमी को किसी अन्य खसरा नम्बर मे सम्मिलित किया गया। भू प्रबंध के उपरांत जमाबंदी संवत् 2055–58 मे वादीगण के खाते मे कुल किता 17 रकबा 8.66 है0 आराजी दर्ज रिकोर्ड थी। वादी द्वारा अपने वादपत्र मे कही भी उक्त तथ्य का विवेचन नही किया गया है।

हमारे विनम्र मत मे जमाबंदी संवत् 2055–58 मे वादी के खाते 8.66 है0 आराजी दर्ज रिकोर्ड थी तथा अपने कथनों के प्रमाणिकरण हेतु वादी को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि भू प्रबंध के पूर्व तथा पश्चात उसके कुल रकबे मे कितना परिवर्तन हुआ है तथा किस–किस स्थान पर हुआ है। लेकिन वादी द्वारा भू प्रबंध से पूर्व के मात्र एक खसरे को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है जो वादी की कुल आराजी मे कमी या बेसी को प्रमाणित नही कर सकता।

उक्त परिस्थिति मे जबकि वादी क्लिन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नही आया है तथा भू प्रबंध से पूर्व व पश्चात के अपने रकबे का सही व तुलनात्मक विवरण लेकर भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है तथा यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उसके कुल रकबे मे कोई कमी दौराने भू प्रबंध हुई हो तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त कमी रकबा किसी अन्य खसरे मे बढाया गया हो, हम वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

❖ पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी, कोटा